रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 2007 / कार्तिक 21, 1929

No. 493] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER12, 2007/KARTIKA 21, 1929

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 701(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में निदेशक (कम्प्यूटर आपात अनुक्रिया दल) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिक विभाग ,निदेशक (कम्प्यूटर आपात अनुक्रिया दल) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य बिशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
निदेशक (कम्प्यूटर आपात अनुक्रिया दल)	1* (2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	22400-525-24500/-रु0	लागू नहीं होता	हाँ, केवल सीधी भर्ती होने वाले व्यक्तियों की दशा में ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
7	8
50 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) निम्नलिखित किसी एक या अधिक में बीस वर्ष का अनुभव: (क) सूचना प्रौद्योगिकी (ख) कार्यान्वयन प्रणाली (ग) ई-शासन (घ) ई-वाणिज्य उपयोजन; और (iii) साइबर सुरक्षा, सुरक्षा घटनाओं के प्रबंधन में दल का मार्गनिर्देशन, सुरक्षा संपरीक्षकों और अन्य सुरक्षा अभिकरणों से अंतरापृष्ठ (इंटरफेस) में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : कम्प्यूटर नेटवर्क में पांच वर्ष का अनुभव

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या /आमेलन द्वारा भर्ती तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
9	10	11
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा, जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
12
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी- (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने 18400-500-22400/-रुपए के वेतनमान में वैज्ञानिक या तकनीकी अधिकारी के रूप में सात वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो । **टिप्पण 1-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।** **टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।**

यदि विभागीय प्रन्नोति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
विभागीय चयन समिति (प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति करने के लिए और पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष 2. अन्य सरकारी विभागों से तीन सचिव, भारत सरकार - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं.. 1(1)/2007-पी.3]
एन. रवि शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2007

G.S.R.701(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Computer Emergency Response Team) in the Ministry of Communications and Information Technology, Dpartment of Information Technology, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of InformationTechnology, Director (Computer Emergency Response Team) Group 'A ' Post Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruitment.
1	2	3	4	5	6	7
Director, (Computer Emergency Response Team).	1* (2007). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'A' Gazetted. Non-ministerial.	Rs.22400-525-24500.	Not applicable.	Yes in the case of direct recruits only.	Upto 50 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhak Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13	14
Essential: (i) Masters Degree in Science or Technology or Electronics or Computer Science from a recognised University; (ii) twenty years experience in any one or more of the following: (a) information technology (b) system	Not applicable.	One year for direct recruits.	By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or Autonomous bodies, - (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with seven years regular service as scientific or technical officer in the pay scale of Rs.18400-500-22400; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.	The Departmental Selection Committee (for making appointment on deputation basis and for considering confirmation) consisting of:- 1. Secretary, Department of Information Technology. – Chairman 2. Three Secretaries to the Government of India from other Government Departments. – Members	Not applicable.

implementation (c) e-governance (d) e-commerce applications ; and (iii) minimum, two years experience in cyber security, guiding teams in handling security incidents, interface with security auditors, and other security agencies. Desirable : Five years experience in computer networks.				Note 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2 : The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

4573-GI/07-2

[F. No. 1(1)/2007-P.III]
N. RAVI SHANKER, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Annexure -V

S.No.	Name of the Rule	G.S.R. No. and date.
	The MIT Group 'A' posts Recruitment Rules, 2000.	
1.	DG, NIC	600(E) dated 11.07.2000
2.	Director	525(E) dated 05.06.2000
3.	Joint Director	525(E) dated 05.06.2000
4.	Senior Principal Private Secretary	525(E) dated 05.06.2000
5.	Deputy Director	525(E) dated 05.06.2000
6.	Principal Private Secretary	525(E) dated 05.06.2000
7.	Senior Hindi Officer	525(E) dated 05.06.2000
8.	Senior Analyst	525(E) dated 05.06.2000
9.	Security Officer	525(E) dated 05.06.2000
10.	Senior Stores Officer	192 dated 09.06.1999
		356(E) dated 08.05.2001(Amend)
		190 dated 22.04.2003 (Amend)
	The MIT Group 'B' posts Recruitment Rules, 2000.	
1.	Section Officer	601(E) dated 11.07.2000
2.	Private Secretary	601(E) dated 11.07.2000
3.	Hindi Officer	601(E) dated 11.07.2000
4.	Assistant Vigilance Officer	601(E) dated 11.07.2000
5.	Stores Officer	601(E) dated 11.07.2000
6.	Assistant Library and Information Officer	601(E) dated 11.07.2000
7.	Assistant	601(E) dated 11.07.2000
8.	Personal Assistant	601(E) dated 11.07.2000
9.	Senior Library and Information Assistant	601(E) dated 11.07.2000
10.	Caretaker	601(E) dated 11.07.2000
11.	Security Supervisor	601(E) dated 11.07.2000
12.	Stores Assistant	601(E) dated 11.07.2000
13.	Senior Hindi Translator	601(E) dated 11.07.2000
14.	Vigilance Assistant	601(E) dated 11.07.2000
15.	Transport Supervisor	73 dated 15.02.2002
16.	Publication Officer	73 dated 15.02.2002
17.	Publication Assistant	530 dated 07.09.2001
		191 dated 22.04.2003(Amend)
	The MIT Group 'C' posts Recruitment Rules, 2000.	
1.	Staff car Driver (Special Grade)	592 dated 16.10.2001
2.	Staff car Driver (Special Grade I)	592 dated 16.10.2001
3.	Staff car Driver (Special Grade II)	592 dated 16.10.2001
4.	Staff car Driver (Ordinary Grade)	592 dated 16.10.2001
5.	Library and Information Assistant	609(E) dated 14.07.2000
6.	Junior Hindi Translator	609(E) dated 14.07.2000
7.	Upper Division Clerk	609(E) dated 14.07.2000
8.	Stenographer	609(E) dated 14.07.2000
9.	Receptionist	609(E) dated 14.07.2000

10.	Senior Reprographer	609(E) dated 14.07.2000
11.	Lower Division Clerk	609(E) dated 14.07.2000
12.	Library Attendant	609(E) dated 14.07.2000
13.	Library Clerk	609(E) dated 14.07.2000
14.	Despatch Rider	609(E) dated 14.07.2000
15.	Xerox Operator	609(E) dated 14.07.2000
16.	Senior Roneo Operator	609(E) dated 14.07.2000
17.	Senior Record Keeper	609(E) dated 14.07.2000
18.	Artist 'B'	321 dated 29.05.2001
19.	Transport Supervisor	72 dated 15.02.2002 (Omitted the RR)
		192 dated 22.04.2003(Amend)
		193 dated 22.04.2003(Amend)
The MIT Group 'D' posts Recruitment Rules, 2000.		
1.	Junior Roneo Operator	636(E) dated 25.07.2000
2.	Daftry	636(E) dated 25.07.2000
3.	Senior Peon	636(E) dated 25.07.2000
4.	Head Chowkidar	636(E) dated 25.07.2000
5.	Senior-Chair recanner cum polishman	636(E) dated 25.07.2000
6.	Peon	636(E) dated 25.07.2000
7.	Chowkidar	636(E) dated 25.07.2000
8.	Farash	636(E) dated 25.07.2000
9.	Safaiwala	636(E) dated 25.07.2000
		257 dated 10.05.2001 (Amend)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2000/ज्येष्ठ 17, 1922

No. 322] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2000/JYAISTHA 17, 1922

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2000

सा. का. नि. 525 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (समूह 'क') पद भर्ती नियम, 1982 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समूह 'क' भर्ती नियम, 2000 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1.निदेशक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	14,300-400-18,300/ - रू.	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति :- ऐसा संयुक्त निदेशक और उप वित्त सलाहकार, जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणियों में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण : प्रोन्नति के लिए संयुक्त निदेशक और उप वित्त सलाहकार की एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी और उनकी ज्येष्ठता का अवधारण संबंधित श्रेणियों में उनके द्वारा नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से किया जाएगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13		14
समूह 'क' विभागीय समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		लागू नहीं होता
1. सचिव, भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	......अध्यक्ष	
2. संयुक्त सचिव (कार्मिक) भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्रालय ।	......सदस्य	
3. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या सदृश पद धारण करने वाला कोई अधिकारी ।	......सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
2. संयुक्त निदेशक	6* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	12,000-375-16,500/ - रू.	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति :- ऐसे उपनिदेशक, सहायक वित्त सलाहकार, ज्येष्ठ विश्लेषक और सुरक्षा अधिकारी जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणियों में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण : प्रोन्नति के लिए उप निदेशक, सहायक वित्त सलाहकार, सुरक्षा अधिकारी और ज्येष्ठ विश्लेषक की एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी और उनकी ज्येष्ठता का अवधारण, संबंधित श्रेणियों में उनके द्वारा नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से किया जाएगा।

13		14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे		लागू नहीं होता ।
1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार (कार्मिक) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्रालय ।	......अध्यक्ष	
2. संयुक्त सचिव भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ।	......सदस्य	
3. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव, भारत सरकार या समरूप पद धारण करने वाला कोई अधिकारी ।	......सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
3. ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव	1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	12,000-375-16,500/- रू.	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष ।

11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा	1. प्रतिनियुक्ति :-

11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा	I. प्रतिनियुक्ति :- केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :- i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या ii) ऐसा प्रधान निजी सचिव, जिसने 10,000-325-15,200 रू0 के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । II . ऐसे विभागीय प्रधान निजी सचिव पर भी, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा, यदि उसका नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो यह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । टिप्पण 1 : ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले है या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

13		14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :		लागू नहीं होता
1 संयुक्त सचिव (कार्मिक), भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ।	......अध्यक्ष	
2 निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्रालय ।	......सदस्य	
3 सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से निदेशक या सदृश पद धारण करने वाला कोई अधिकारी ।	......सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
4.उप निदेशक	17* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	10,000-325-15,200/ - रू.	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष ।

11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसा अनुभाग अधिकारी, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है ।

13		14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1 संयुक्त सचिव (कार्मिक), भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय । 2 निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय । 3 सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से निदेशक या केन्द्रीय सरकार का सदृश पद धारण करने वाला कोई अधिकारी ।	......अध्यक्ष ......सदस्य ......सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5 प्रधान	1* (2000)	साधारण केन्द्रीय	10,000-325-	योग्यता के आधार पर	नहीं	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5.प्रधान निजी सचिव	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	10,000-325-15,200/ - रू.	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष ।

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	I. प्रोन्नति ऐसा निजी सचिव जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है । II. प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हैं । टिप्पण 1 : ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिकसंविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन—सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले है या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से

16 HGI/2000-2

13		14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) 1 संयुक्त सचिव (कार्मिक), भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय । 2 निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्रालय । 3 सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से निदेशक या सदृश पद धारण करने वाला कोई अधिकारी ।	......अध्यक्ष ......सदस्य ......सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5. ज्येष्ठ हिन्दी अधिकारी	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	10,000-325-15,200/- रु.	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा	

11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा	I. प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या ii) जो आठ वर्ष से नियमित आधार पर हिन्दी अधिकारी का पद धारण किए हुए हैं ; और iii) जिनके पास हिन्दी में मास्टर डिग्री या डिग्री स्तर पर वैकल्पिक या मुख्य विषय के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री है। II ऐसे विभागीय हिन्दी अधिकारी पर भी, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा । यदि उसका नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । टिप्पण 1 : ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिकसंविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन—सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले है या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

13		14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए)		लागू नहीं होता
1 संयुक्त सचिव (कार्मिक), भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ।	......अध्यक्ष	
2 निदेशक की पंक्ति का एक अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ।	......सदस्य	
3 सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से निदेशक या सदृश पद धारण करने वाला कोई अधिकारी ।	......सदस्य	

विश्लेषक	(20 … *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधा… के… सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	10,000-325-15,200/- रू	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं	40 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

8	9	10
आवश्यक (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ; (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के कार्यालय के कार्य अध्ययन या प्रबंध कृत्यों के क्षेत्र में आठ वर्ष का अनुभव ; और (ग) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या किसी कार्य अध्ययन संस्थान से उच्च प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र । वांछनीय : कंप्यूटर प्रचालन की जानकारी ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	दो वर्ष ।